कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक/ 2193 /एस.डब्ल्यू./2020 सिवनी, दिनांक 25 मार्च 2020

जिले में कोरोना वायरस के व्यापक संक्रमण को देखते हुए सम्पूर्ण लॉक डाउन किया गया है। जिले की ग्राम पंचायतों में जिले के बाहर से आये व्यक्तियों को 14 दिवस अपने ही घरों में ही रहने हेतु निर्देशित किया गया, ग्राम पंचायत के सचिव/ग्राम रोजगार सहायक के अतिरिक्त ग्राम हल्का पटवारी, एम.पी.डब्ल्यू., ए.एन.एम., आंगनवाडी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता सुनिश्चित करें कि ऐसे व्यक्ति अपने घरों में ही रहे, इसके पश्चात भी ऐसा कोई व्यक्ति घर स अन्यत्र/बाहर मिले या घूमता दिखाई दे तो तत्काल इसकी सूचना अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को देना सुनिश्चित करें ।

उक्त आदेश का कड़ाई से पालन किया जावे अन्यथा सम्बंधित के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

(प्रवीण सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
सिवनी

पृ. क्रमांक/ 2193-A /एस.डब्ल्यू./2020 सिवनी, दिनांक 25 मार्च, 2020

प्रतिलिपि :–

1. पुलिस अधीक्षक, जिला सिवनी ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सिवनी ।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी को सूचनार्थ कर लेख है कि समस्त एम.पी.डब्ल्यू., ए.एन.एम. एवं आशा कार्यकर्ता को पालन हेतु निर्देशित करें ।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग सिवनी को सूचना कर लेख है कि समस्त आंगनवाडी कार्यकर्ता को पालन हेतु निर्देशित करें ।
5. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सिवनी/बरघाट/केवलारी/लखनादौन/घंसौर/कुरई
6. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिला सिवनी
7. सर्व तहसीलदार, तहसील .... जिला सिवनी अपने क्षेत्र के हल्का पटवारी को पालन हेतु निर्देशित करें ।
8. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सिवनी/बरघाट/लखनादौन
9. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत .... जिला सिवनी को समस्त ग्राम पंचायत सचिव/रोजगार सहायक को पालन हेतु निर्देशित करें ।
10. सर्व थाना/चौकी प्रभारी, ...जिला सिवनी ।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
सिवनी